जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक:- BRLPS/Proj-NF/1855/21/1403 दिनांक ... 04.08.21

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को अंतर्गत चिन्हित स्वयं सहायता समूह के पक्ष में कार्यशील पूंजी के वितरण हेतु निर्देश :-

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को छोटे उपकरणों के क्रय हेतु या कार्यशील पूंजी के रूप में अधिकतम 40 हजार रूपये तक के सहयोग का प्रावधान रखा गया है। योजना के दिशा निर्देश के आलोक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य नोडल अभिकरण को कार्यशील पूंजी अवयव के रूप में अपना अंशदान अनुदान (Grant) के तौर पर देगी। स्वयं सहायता समूहों को कार्यशील पूंजी के भुगतान को प्रणालीबद्ध करने हेतु कार्यशील पूंजी संकुल स्तरीय संघो/ ग्राम संगठनों को उपलब्ध करायी जाएगी। संकुल संघ/ग्राम संगठन द्वारा यह कार्यशील पूंजी स्वयं सहायता समूहों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। इस ऋण की अधिकतम वापसी अवधि 24 महीनों की है। वापस की गयी ऋण राशि संकुल स्तरीय संघ के स्तर पर जमा पूंजी के रूप में कार्य करेगी।

निधि का भुगतान मात्र उन स्वयं सहायता समूहों को किया जाएगा जिनके सदस्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सूचीबद्ध प्रसंस्करण गतिविधियों में सलंग्न हों और उनके प्रस्ताव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर प्रनुमोदित हो।

2. **निधि-प्रवाह की प्रक्रिया-(राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मार्ग निर्देश के अनुसार)**

भारत सरकार-(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)

↓

राज स्तरीय नोडल अधिकरण (PFMS के माध्यम से)

↓

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जिला पूरक खाता में विनिधान के माध्यम से)

↓

संकुल स्तरीय संघ (RTGS/NEFT के माध्यम से)

↓

ग्राम संगठन (RTGS/NEFT के माध्यम से)

↓

स्वयं सहायता समूह (RTGS/NEFT के माध्यम से)

↓

लाभार्थी

राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा कार्यशील पूंजी की सम्मिलित स्तरीय अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्दिष्ट खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई राज्य नोडल प्राधिकरण से प्राप्त निधि सम्बंधित जिला परियोजना समन्वयन इकाई के खाते में दो दिनों के अंतर्गत हस्तांतरित करेगी।
- जिला परियोजना समन्वयन इकाई दो दिनों के अंतर्गत सम्बंधित संकुल संघ ग्राम संगठन के खाते में हस्तांतरित करेगी) जहाँ पर संकुल स्तरीय संघ नही हो वहाँ नोडल ग्राम संगठन को राशि हस्तांतरित की जाएगी।
- तत्पश्चात यदि आवेदन व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया हो तो संकुल संघ/ग्राम संगठन द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दो दिनों के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के खाते में हस्तांतरित की जाएगी, पर यदि समूह का आवेदन हो तो इसे खाद्य प्रसंस्करण समूह के खाता में हस्तांतरित किया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा कार्यशील पूंजी उस लाभार्थी के खाते में दो दिनों के अंतर्गत हस्तांतरित की जाएगी जिसका आवेदन क्रमबद्ध तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमोदित किया गया हो।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर 0.5% प्रति माह या 6 % की दर से ब्याज के आधार पर प्रभाव होगा जो जमा की गयी ब्याज की राशि के आधार का मूल ऋण की राशि घटता जाएगी।
- ऋण वापसी की प्रक्रिया होगी-सदस्य से स्वयं सहायता समूह, समूह से ग्राम संगठन, तथा ग्राम संगठन से संकुल स्तरीय संघ
- ब्याज के रूप में प्राप्त राशि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन तथा संकुल स्तरीय संघ के बीच 20:20:60 के अनुपात में वितरित की जाएगी
- ब्याज के रूप में स्वयं सहायता समूह तथा ग्राम संगठन को प्राप्त अंश का उपयोग उद्यम के अनुश्रवण हेतु किया जायेगा।
- ब्याज के रूप में संकुल स्तरीय संघ को प्राप्त अंश का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण विषयक ऋण भुगतान हेतु किया जाएगा।
- ऋण अदायगी की कुल अवधि 24 महीने की है जबकि प्रारंभिक तीन महीने की अवधि ऋण स्थगन की होगी।

5% आवेदन के अभिपुष्टि से सम्बंधित अनुदेश :
जिला द्वारा उपस्थापित कुल आवेदनों में कम से कम 5% की अभिपुष्टि किया जाना अपेक्षित है। उद्यमों की अभिपुष्टि की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- अधिकतम आवेदन वाले :- 5 से 10 प्रखंडों की पहचान करना
- जिला एवं प्रखंड स्तरों पर दल निर्माण-जिला स्तर पर NF नोडल एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक को मिलाकर दो सदस्यीय दल जो जमीनी भौतिक सत्यापन के माध्यम से दर्ज आकंड़ों की प्रमाणिकता का स्सत्यापन करेगा।
- पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि में सर्वाधिक लेनदेन को प्रतिम्बित करने वाले उद्यमों की पहचान
- आकंड़ों का सही ढंग से सत्यापन सरजमीनी निरीक्षण के माध्यम से
- बेबसाईट प्रविष्टि के माध्यम से अनुमोदन हेतु सात दिनों में अंतर्गत पूरा कर लिया जाए।
- आंकड़ो के सत्यापन हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदन /स्वीकृति हेतु तब तक लम्बित रखे जायेगे जब तक अभिपुष्टि सम्बंधित कर्मियों / दल से प्राप्त हो जाये।
- जिला कार्यक्रम समन्वयन इकाई के दल द्वारा प्रस्ताव राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के NF नोडल को सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर अनुशंसा / अस्वीकृति हेतु उपस्थापित की जाएगी।

4.प्रस्ताव बिषयक आकंड़ों के सत्यापन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त चेकलिस्ट :

- उद्यमी का नाम – स्वयं सहायता समूह , प्रखंड एवं जिला
- निरीक्षण का स्थान एवं तिथि

- उद्यम का अस्तित्व – हाँ / नहीं
- उद्यमी के साथ भेंट – हाँ / नहीं
- प्रस्ताव के साथ भेंट – हाँ / नहीं
- प्रस्ताव में दर्ज आंकड़ो का – स्थल सत्यापन करना
- उत्पादित सामग्री
- उद्यम एवं उत्पादित सामग्री का छायाचित्र (निरीक्षण के समय फोटो लिया जाये)
- किये गये निवेश का आकलन
- अगर कोई ऋण लिया गया हो तो उसका भी आकलन
- उद्यम की मौसमी- उपप्रयुक्ता
- कुल टर्नओवर का आकलन जिसके लिए – कच्चा माल क्रय , प्रसंस्करण में लगा व्यय तथा विक्रय से सम्बंधित प्रश्न (व्यवसाय में चिन्हित लेन देन की कुल राशि) किये जायेगे।

5

नॉन फार्म एवं कम्युनिटी फाइनेंस टीम द्वारा अभिलेख पुस्तिका में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु लेखा प्रविष्टयां –

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना कार्यकलाप हेतु निधि के संचालन विषयक मार्गदर्शिका के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिस्तरीय सामुदायिक संगठनों (संकुल स्तर/ ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूह) हेतु निधि का संचालन निर्धारित एवं मान्य प्रक्रिया के अनुरूप ही है। इसमें एक मात्र अपवाद लाभार्थी से प्राप्त 6 % वार्षिक ब्याज से सम्बंधित है जिसका वितरण स्वयं सहायता समूह / ग्राम संगठन / संकुल स्तरीय संघ के बीच 20 :20:60 के अनुपात में होता है।

चूँकि यह एक नया कार्यकलाप है, अत: इसके लिए नया खाता शीर्ष प्रारंभ किया जायेगा ताकि इस विशेष कार्यकलाप हेतु किये जाने वाले वित्तीय लेनदेन को लेखा अभिलेखों में प्रदर्शित किया जा सके। विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित लेखा शीर्ष निम्न प्रकार होंगे :-

A – संकुल स्तरीय संघ के स्तर पर –

1. परियोजना से निधि की प्राप्ति हेतु – इसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन –निधि शीर्ष में अभिलेखित किया जायेगा।
   लेन-देन की प्रकृति होगी – देयता
2. ग्राम संगठनो को निधि प्रदान किया जाना – इसे ग्राम संगठन – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण शीर्ष के अंर्तगत अभिलेखित किया जायेगा, इसके लेन-देन की प्रकृति होगी – स्थायी सम्पति
3. ग्राम संगठनों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण की मूल राशि की वसूली – इसे ग्राम संगठन – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण लेखा शीर्ष में अभिलेखित किया जायेगा।
   लेन-देन की प्रकृति – प्राप्ति पक्ष में परि सम्पति अभिलेखित होगी।
4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन) विषयक ऋण पर ब्याज की प्राप्ति – इस लेखा शीर्ष –
   Interest of PMFME Loan के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा
   लेन-देन की प्रकृति होगी – आय

B - ग्राम संगठन के स्तर पर :-

1. संकुल स्तरीय संघ पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन से निधि प्राप्ति के लिए इसे संकुल स्तरीय संघ - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। लेन-देन की प्रकृति होगी – देयता

2. स्थानान्तरण समूह का निधि – वितरण – इस स्वयं सहायता समूह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा – इसकी प्रकृति होगी – स्थायी सम्पति

3. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण के मूल राशि की स्वयं सहायता समूह को वापसी – इसे SHG प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण (मूल वापसी) शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। लेन-देन की प्रकृति होगी –परि संपत्ति जो प्राप्ति पक्ष में दर्ज की जाएगी।

4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण पर स्वयं सहायता समूह से ब्याज की प्राप्ति – इसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण – लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। लेन-देन की प्रकृति होगी – आय

5. संकुल स्तरीय संघ में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण की मूल रकम की वापसी – इसे संकुल स्तरीय संघ / प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण (मूलधन वापसी) शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। लेन देन की प्रकृति होगी – देयता , जिसे भुगतान पक्ष में अंकित किया जायेगा।

6. संकुल स्तरीय संघ को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण संकुल स्तर संघ के तहत ब्याज भुगतान – इसे लेखा शीर्ष – संकुल स्तरीय संघ से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन पर ब्याज के तहत दर्ज किया जायेगा। लेन देन की प्रकृति होगी – व्यय

C. **स्वयं सहायता समूह के स्तर पर :-**

I. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन हेतु ग्राम स्तर पर निधि प्राप्ति हेतु – इसे लेखा शीर्ष ग्राम संगठन/ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। इसकी प्रकृति होगी – देयता ,

चूँकि यह लेखा शीर्ष लेनदेन प्रपत्र में दर्ज नहीं है – इसे हाथ के माध्यम से बैंक प्रशाखा के तहत अन्य शीर्ष द्वारा बदला जा सकता है। यदि यह ग्राम संगठन से स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते से प्राप्त हो।

II. लाभार्थी सदस्य को निधि का वितरण – इसे सदस्य को ऋण शीर्ष के अंतर्गत सदस्य के नाम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण अंकित करते हुए दर्ज किया जायेगा। लेनदेन की प्रकृति होगी – स्थायी सम्पति

III. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण की मूल रकम की सदस्य से वापसी – इसे लेखा शीर्ष से सदस्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। इसे अनिवार्यत: कार्यवाही पुस्तिका के अतिरिक्त ऋण पंजी के उसी पृष्ठ में जहाँ सदस्य के नाम से में ऋण पूंजी में भी जहाँ सदस्य के नाम स ऋण का विवरण अंकित हो – उससे संपुष्ट होना चाहिए।

इससे लेनदेन की प्रकृति होगी। परिसम्पति एवं इसे प्राप्ति पक्ष में दर्ज किया जायेगा।

IV. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ऋण पर सदस्य से ब्याज प्राप्ति – इसे लेखा शीर्ष सदस्य से ऋण के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। इसे अनिवार्यत: कार्यवाही पुस्तिका में अंकित विवरण के अतिरिक्त ऋण पंजी के उसी पृष्ठ में , जो सदस्य के नाम ऋण के संदर्भ में खोला गया हो। विवरण के अंकित का संपुष्ट होना चाहिए। इस लेनदेन की प्रकृति होगी – आय

V. ग्राम संगठन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की मूल रकम की वापसी – इसे लेखा शीर्ष प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संकुल स्तरीय संघ (मूल की वापसी) के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। लेनदेन की प्रकृति होगी – देयता और इसे भुगतान पक्ष में अभिलेखित किया जायेगा।

VI. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ऋण पर ग्राम संगठन को ब्याज - इसे लेखा शीर्ष प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत दर्ज किया जायेगा। लेनदेन की प्रकृति होगी- व्यय
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ऋण के अनुश्रवण हेतु अनिवार्य है कि सभी सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संघ , ग्राम संगठन और स्वयं सहायता समूह, अपनी सम्बंधित ऋण पुस्तिका में अतिदेय (Overdue) तथा बची हुई ऋण राशि का अनुश्रवण हो सके।

6 **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का विस्तृत विवरण :**

क्रमांक	विस्तृत कर्तव्य सूची	उत्तरदायित्व
1	खाद्य उन्नयन क्रियाकलाप में संलग्न उद्यम का सर्वेक्षण	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
2	खाद्य उन्नयन क्रियाकलाप में संलग्न उद्यम का चयन	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
3	आवेदन जमा करना तथा स्वयं सहायता समूह से अनुमोदन	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
4	स्वयं सहायता समूह द्वारा आवेदन जमा करने के बाद ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदन	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
5	ग्राम संगठन द्वारा आवेदन जमा करने के बाद संकुल स्तरीय संघ का अनुमोदन	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक

		समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
6	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पोर्टल ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आकंडा का संग्रहण	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
7	डिब्बाबंद उत्पादित सामग्री का फोटो खीचना	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
8	ग्राम संगठन मान चित्रण विषय में आकंडा का संग्रहण तथा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को तदविषयक जानकारी देना	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/शुरुवाती ग्रामीण उद्यमिता योजना- प्रखंड परियोजना प्रबंधक (SVEP-BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)/सामुदायिक संसाधन सेवी(CRP)/सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)
9	ग्राम संगठन का मानचित्रण	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई पर – एम् आई एस नोडल
10	ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह और सदस्यों के समबन्ध में किये गये मानचित्रण को पूर्ण करने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) एम आई एस (MIS) पर प्रथम स्तर की संघ का मानचित्रण करना	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (M&E) नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के सहयोग से
11	निबंधित स्वयं सहायता टैब से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) एम आई एस (MIS) पोर्टल पर स्वयं सहायता समूह की खाता विवरणी की प्रविष्टि	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM) तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के सहयोग से के सहयोग से
12	खाद्य प्रसंस्करण तथा सूक्ष्म उद्यम टैब खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की प्रविष्टि	नॉन फार्म नोडल(NF)/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM) तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के सहयोग से के सहयोग से
13	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के MIS पर आवेदन का अनुमोदन	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की नॉन फार्म टीम
14	सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन तथा राज्य नोडल प्राधिकार को उपस्थापन	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की नॉन फार्म टीम
15	राज्य नोडल प्राधिकार से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को निधि का स्थानांतरण	राज्य नोडल प्राधिकार
16	निधि प्राप्ति के सात दिनों के अंतर्गत – राज्य नोडल प्राधिकार से जिला परियोजना समन्वयन इकाई को निधि का संवितरण	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की नॉन फार्म टीम

17	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से निधि प्राप्त होने में 48 घंटे के अंतर्गत जिला परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा संकुल स्तरीय संघ को निधि का संवितरण	प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोह से जिला स्तर की नॉन फार्म टीम
18	जिला परियोजना द्वारा निधि उपलब्ध कराये जाने के बाद 48 घंटे के अंतर्गत संकुल स्तर संघ द्वारा ग्राम संगठन को निधि का संवितरण	प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)के सहयोह से जिला स्तर की नॉन फार्म टीम
19	संकुल स्तर संघ से निधि प्राप्ति के 48 घंटे के अंतर्गत ग्राम संघटन द्वारा स्वयं सहायता समूह को निधि उपलब्ध कराया जाना	प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)के सहयोह से जिला स्तर की नॉन फार्म टीम
20	ग्राम संगठन से निधि प्राप्ति के 48 घंटे के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निधि उपलब्ध कराया जाना	प्रखंड परियोजना प्रबंधक (BPM)/क्षेत्रीय समन्वयक(AC) /सामुदायिक समन्वयक (CC)के सहयोह से जिला स्तर की नॉन फार्म टीम
21	ऋण की अदायगी	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनाकी लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में निर्गत मार्गदर्शिका के अनुश्रवण हेतु BPIU/DPCU/SPMU

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनाके संदर्भ में प्रबंधक नॉन फार्म/युवा पेशेवर- नॉन फार्म / प्रबंधक नॉन फार्म /प्रभारी प्रबंधक नॉन फार्म , जिला स्तर पर नोडल व्यक्ति होगे।
- प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन के क्रियान्वयन के संदर्भ में समग्र रूप से दायित्व जिला परियोजना का होगा।

04/08/2021

(बालामुरुगन डी०)

अनुलग्नक :-

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रबंधन के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी संचालन मार्गदर्शिका।

04/08/2021

(बालामुरुगन डी०)

प्रतिलिपि :

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ प्रशासी पदाधिकारी/अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी राज्य परियोजना प्रबंधक विशेषज्ञ/सभी परियोजना प्रबंधक विशेषज्ञ
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक / वित्त प्रबंधक /प्रबंधक नॉन फार्म
4. IT सेक्शन
5. सम्बंधित संचिका

04/08/2021

(बालामुरुगन डी०)

Annexure-A

PM Formlisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME)

PFMS SCHEME CODE (3887)

PMFME-Fund Operational Guidelines through PFMS
(PMFME-FOG)

PMFME-FOG

1 BACKGROUND

The unorganized food processing sector in the country comprises nearly 25 lakh food processing enterprises which are unregistered and informal. With only 7% of investment in plant & machinery and 3% of outstanding credit, the unorganized enterprises contribute to 74% of employment (a third of which are women), 12% of output and 27% of the value addition in the food processing sector. Nearly 66% of these units are located in rural areas and about 80% of them are family-based enterprises1. Most of these units falls under category of micro manufacturing units in terms of their investment in plant & machinery and turnover.

The unorganized food processing industry in India faces challenges that limit its development and weakens performance. These challenges include: (a) lack of productivity and innovation due to limited skills and access to modern technology and machinery for production and packaging; (b) deficient quality and food safety control systems, including lack of basic awareness on good hygienic and manufacturing practices;(c) lack of branding & marketing skills and inability to integrate with the supply chains, etc.;(d) capital deficiency and low bank credit.

Unorganized micro food processing units, need intensive hand holding support for skill training, entrepreneurship, technology, credit and marketing, across the value chain, necessitating active participation of the state government for better outreach. In the last decade, Central and State Governments have made intensive efforts to organize farmers in Food Processing Organisations (FPOs) and women's Self Help Groups (SHGs). SHGs have achieved considerable progress in thrift and their repayment record with 97% NPA level is among the best. Governments have made efforts to enable SHGs to undertake various manufacturing and service sector activities including food processing. However, there are few Government schemes to support FPOs and SHGs to make investment and upscale their operations.

This scheme is a centrally sponsored scheme that is designed to address the challenges faced by the micro enterprises and to tap the potential of groups and cooperatives in supporting the upgradation and formalization of these enterprises.

PMFME SOP

2. Fund Flow under PMFME Scheme

Government of India (MoFPI)

↓

State Nodal Agency
(Through PFMS)

↓

SRLM
(Through allocation in district Subsidiary Account)

↓

District
(Through PFMS REAT Module)

↓

CLF
(Through RTGS/NEFT)

↓

VO
(Through RTGS/NEFT)

↓

SHG
(Through RTGS/NEFT)

↓

Beneficiaries

- The States/UTs to follow the same fund flow as followed for the DAY-NRLM Scheme.
- At the State level, the State Level Approval Committee to oversee the implementation of the scheme and the scheme being operated by a nominated State Nodal Agency, supported by a State PMU of MoFPI.
- Utilization of funds will be monitored by NRLM and MoFPI.

PMFME-FOG

3. Nomenclature of scheme in PFMS:

PMFME (3887)/State Name

4. Implementation Plan:

I. State Nodal agency (SNA), is designated by the Ministry of Food Processing.

II. Creation of separate State scheme in PFMS by State Finance Department in coordination with PFMS State Directorate andSRLM (State Scheme Manager) (under CSS 3887.

III. Budget components of PMFME should be migrated in the State PFMS scheme code with the help of SPMU team of PFMS (at the State level by SRLM).

IV. SRLM to open a dedicated bank account for PMFME scheme at state level in the Scheduled Commercial Bank authorized to conduct government business in PFMS.

V. SRLMs need to register PMFME scheme under PFMS (using the login credentials shared by SNA against the allotted State Scheme code) and enter new dedicated bank details accordingly at State level. Screen shot attached at annexure-I.

VI. Against the PMFME scheme, SRLM to select SNA as funding agency as per screen shot attached at Annexure-II.

VII. After completion of the registration at state level by SRLM, State Nodal agency (SNA) to approve the same in PFMS by using their admin ID.

4. Fund transfer to SRLMs:

I. State Nodal agency (SNA) to transfer the Funds under PMFME to SRLM through PFMS.

II. Funds transferred by SNA to SRLM through PFMS, to be received by the SRLM (in PFMS) in its dedicated bank account through My Fund – Received from other agency – select scheme at State. Screen shot attached at annexure-III.

III. Funds received by SRLM to be allocated (i.e., inform the Bank branch formally, the drawing limits of districts/subsidiary accounts from the main account) to districts subsidiary account within 48 hours of its receipts and the district allocation should be intimated to the District.

IV. To have more effective cash management and bring more efficiency in the public expenditure management, Ministry of Finance directed that the fund transfer, utilization and monitoring should be through PFMS only with effect from 01-07-2021 onwards for all Govt. Schemes.

5. Fund transfer to Districts:

I. A subsidiary bank account (linked to State level account of PMFME) at District Mission Management Units (District Units) be opened for PMFME scheme.

II. All DMMUs should register PMFME scheme under PFMS (State Scheme code) and enter new bank details in PFMS.

III. State (SMMU) will approve the districts new scheme and bank account in PFMS.

PMFME-FOG

IV. **After approval of the scheme and bank account of district in PFMS, SRLM will allocate the funds to subsidiary accounts of districts based on the approval received from SRLM.**

6. Fund Transfer to CLF:

I. **District Mission Management unit will transfer the money to CLF/VO through PFMS.**
II. **CLF/VO/SHG if not registered in PFMS, should be registered as vendor by DMMU.**
III. **The funds should be transferred by DMMU to CLFs/VOs within 48 hours on receipts of allocation of funds from SRLM.**

7. Fund Transfer to SHG:

I. **CLF will transfer money to SHG through RTGS/NEFT within 48 hours of receipts of funds from district.**
II. **SHG will transfer the money to the beneficiaries within 48 hours of receipts of funds from CLF.**

8. Roleof Stake Holders

I. **Central PFMS**
II. **MoFPI**
III. **DoRD**
IV. **SRLM**
V. **PFMS State Directorate**

Central PFMS

- Create separate centrally sponsored scheme.
- Central PFMS team will coordinate with PFMS State Directorate team for creation of State scheme and to link with PMFME scheme (3887).
- Advice to PFMS State Directorate to remove multiple State schemes linked with central scheme 3887 (if any) in consultation with SRLM.
- Training and capacity building support to NMMU and SRLMs

PMFME-FOG

- Coordination with respective PFMS State Directorate on restriction of mapping schemes of others States and removal of all such schemes.
- Provision of managing fund release category (EA) based on purpose before executing Payment advice and settlement of advances.

MoFPI

- Ministry will coordinate with Central PFMS team and SNA of States for implementation of PFMS under PMFME.
- Ministry will coordinate with all States for creation/configuration of the schemes of each State.
- Technical support if any.

DoRD

- NMMU will coordinate with CCA, MoRD, Central PFMS team and states for implementation of PFMS under PMFME.
- NMMU will coordinate with all States for creation/configuration of the schemes of each State.
- Training and capacity building support to SRLMs on the use of integrated system.

SRLM

- SMMU will be responsible for registration of SMMU and DMMU as agency under the respective State scheme which are linked with central PMFME scheme (3887).
- Ensure only one State PMFME scheme or only related schemes are linked with central PMFME scheme (3887).
- Coordinate with PFMS State Directorate team to shift all required agencies from Central scheme to State PMFME scheme.
- Ensure all agencies and vendors are registered under the State scheme instead of central scheme
- Training and capacity building of district and block units for implementation.

PFMS State Directorate Team

- State PFMS team will ensure creation of a separate State PMFME scheme linked with centralscheme (3887).
- Delinking of already linked State specific schemes with 3887(if any) where there is no

PMFME-FOG

central contribution.

- Agencies such as SMMU/DMMU/BMMU registered directly under central scheme (3887) need to remove and map with State scheme with required agencies.
- Support for training and capacity building of SMMU, DMMU and BMMU team members
- Technical support

Component of the Scheme:

Seed Capital

Contact details:

Sh. Prabhash Jha
Mission Manager-Finance
NMMU-NRLM, DoRD
Contact: 011-23461789, Extension-2089
Email: jha.nrlm.mord@gmail.com

Sh. V.P. Bhatt- Under Secretary-PMFME
Contact: 011-26406612, Extension-612
Email: vp.bhatt@gov.in

PMFME-FOG

Annexures

Annexure-I

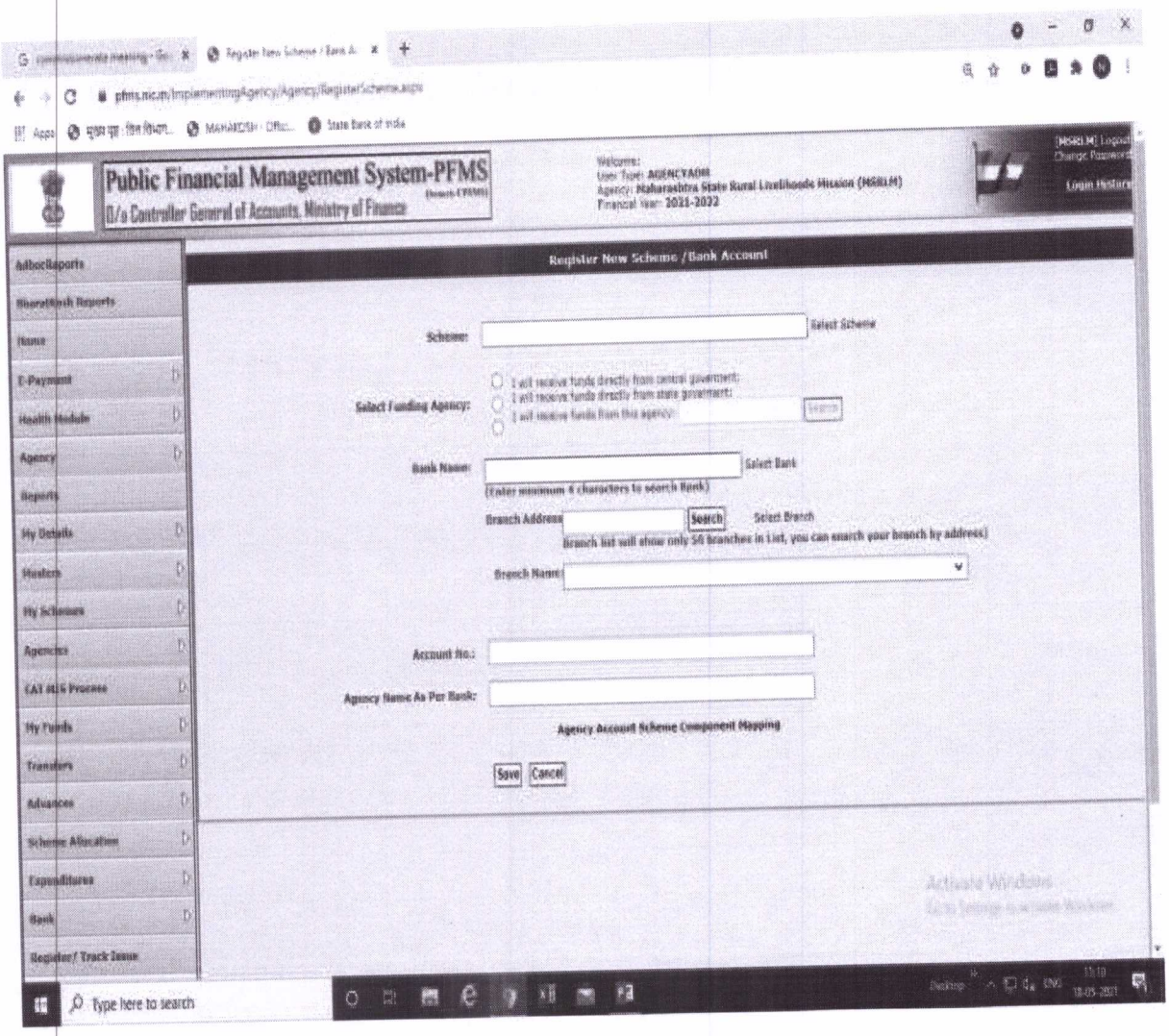

Annexure-II

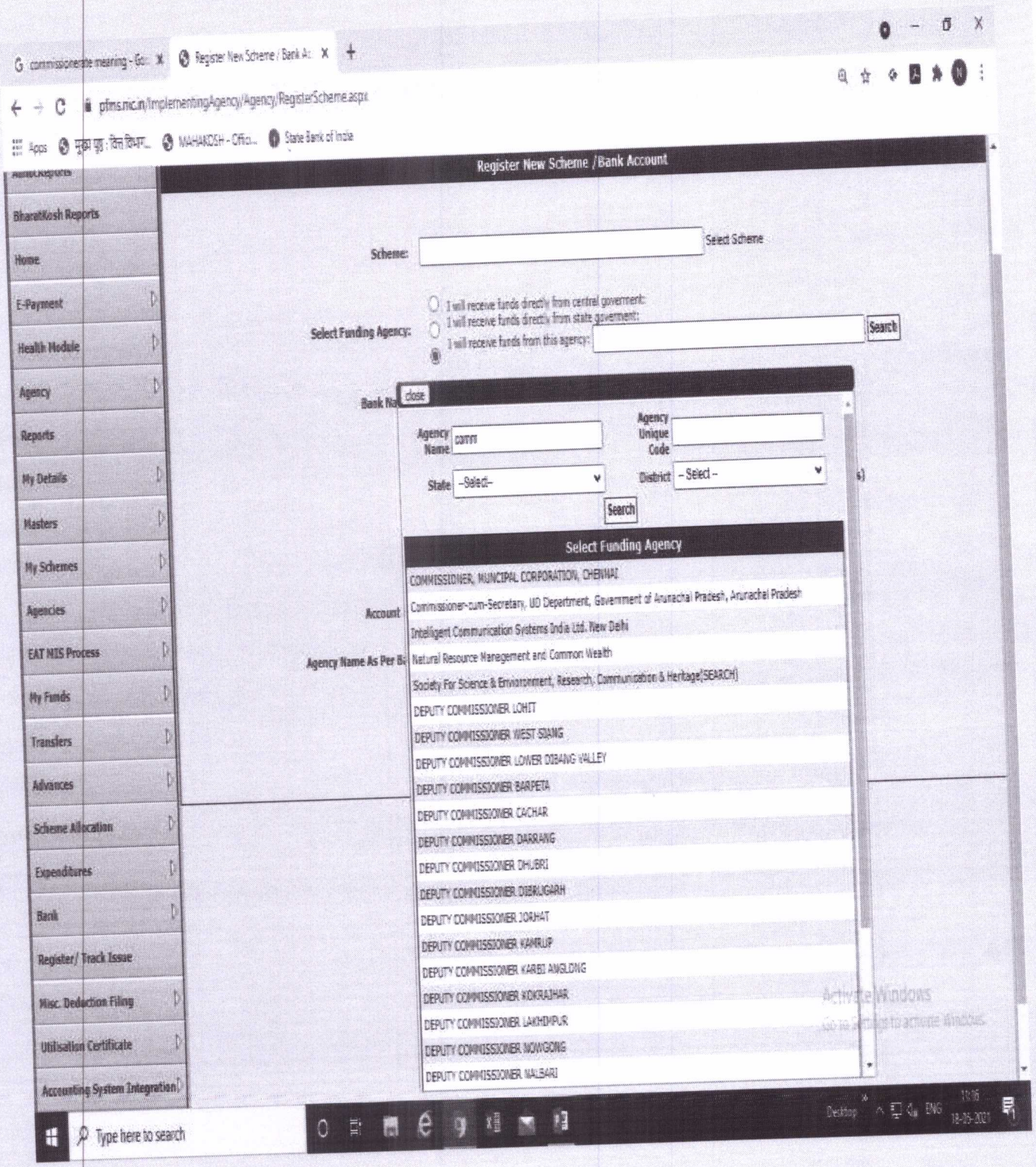

commissionerate meaning - Goo
Register New Scheme / Bank Ac
pfms.nic.in/ImplementingAgency/Agency/RegisterScheme.aspx
Apps
MAHAKOSH - Offici...
State Bank of India
Register New Scheme /Bank Account
BharatKosh Reports
Home
E-Payment
Health Module
Agency
Reports
My Details
Masters
My Schemes
Agencies
EAT MIS Process
My Funds
Transfers
Advances
Scheme Allocation
Expenditures
Bank
Register/ Track Issue
Misc. Deduction Filing
Utilisation Certificate
Accounting System Integration
Scheme:
Select Scheme
Select Funding Agency:
I will receive funds directly from central government:
I will receive funds directly from state government:
I will receive funds from this agency:
Search
Bank Na
close
Agency Name
comm
Agency Unique Code
State
--Select--
District
-- Select --
Search
Select Funding Agency
COMMISSIONER, MUNCIPAL CORPORATION, CHENNAI
Commissioner-cum-Secretary, UD Department, Government of Arunachal Pradesh, Arunachal Pradesh
Intelligent Communication Systems India Ltd. New Delhi
Natural Resource Management and Common Wealth
Society For Science & Environment, Research, Communication & Heritage[SEARCH]
DEPUTY COMMISSIONER LOHIT
DEPUTY COMMISSIONER WEST SIANG
DEPUTY COMMISSIONER LOWER DIBANG VALLEY
DEPUTY COMMISSIONER BARPETA
DEPUTY COMMISSIONER CACHAR
DEPUTY COMMISSIONER DARRANG
DEPUTY COMMISSIONER DHUBRI
DEPUTY COMMISSIONER DIBRUGARH
DEPUTY COMMISSIONER JORHAT
DEPUTY COMMISSIONER KAMRUP
DEPUTY COMMISSIONER KARBI ANGLONG
DEPUTY COMMISSIONER KOKRAJHAR
DEPUTY COMMISSIONER LAKHIMPUR
DEPUTY COMMISSIONER NOWGONG
DEPUTY COMMISSIONER NALBARI
Account
Agency Name As Per Ba
Activate Windows
Type here to search
Desktop
ENG
18-05-2021

Annexure-III